

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन
किया गया, पक्षकारान को नोटिस
जारी हो पत्रावली दिनांक 22-5-18
केम्प हाकरवाडा को पेश हो।

22/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प हाकरवाडा
में पेश हुई। मामले आम में पत्रावली का
अवलोकन करने पर जाहिर किया कि उक्त
प्रकरण को प्रकरण सं. 73/11 के साथ दि.
2/6/15 को संलग्न कर दिया गया था।
उक्त प्र. सं. 73/11 में पूर्व में रिक्री जारी
की जा चुकी है, जिलगी अपील माननीय
राजस्व मंडल अजमेर न्यायालय में रिक्री
होना जाहिर किया है। यूटि प्रकरण सं.
73/11 का निष्पत्ति ^{महंगा से} हो चुका है तथा उस
प्रकरण की 73/11 के साथ संलग्न किया
जा चुका है अतः उक्त प्रकरण में

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किरा हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है। गलिहाजा उम्ह प्रकार कारिज किया जाला है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	

मूल वाद में दिव्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी : राजेश्वरी वैजवा P.S. टाकरवाड़ा


दाया काबनु शारदा उषात
मुकदमा नम्बर:- 98-24-123 RTA बनाम लक्ष्मण कोठे

निर्णय दिनांक:- 22/05/2018

दादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से की
उपरिस्थिति में इस वाद में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी)
राजेश्वरी वैजवा P.S. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
दिव्री दी जाती है कि- दाद वारी खारिज किया जाता है। लक्ष्मण दिव्री
जाती दी जाती है।

खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(राजेश्वरी वैजवा P.S.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर दीगोद

वाद के खर्च

दादी			प्रतिवादी		
मुद्रा	रुपये	पैसे	मुद्रालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प व काजनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प व जूह समुल	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्नाना वकील	0	0	महन्नाना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुल	0	0	मुल	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0